" विज्ञप्ति "

शासनादेश संख्याः 1029/18–(2)/10–3(1)/2010(एफ) आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग दिनांक 15 सितम्बर 2010 के अनुपालन में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के संचालन हेतु शासनादेशों में दिये गये प्रतिबन्धों के तहत जनपद चमोली में आपदा प्रबन्धन अधिकारी के पद पर दिनांक 31 मार्च, 2017 तक की अवधि हेतु संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासियों से दिनांक 19.04.2016 सांय 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक,स्पीड पोस्ट एवं सीधे आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। सभी आवेदक अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर पूर्ण विवरण सहित दूरभाष/ई–मेल सहित जिलाधिकारी,चमोली को सम्बोधित करेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 21.04.2016 को प्रातः 11:00 बजे से आवेदित अभ्यार्थियों को साक्षात्कार जिला कार्यालय, चमोली लिया जायेगा। किसी आवेदक को साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचित नहीं किया जायेगा। इस पद पर नियुक्ति हेतु प्रकिया एवं मुख्य शर्त निम्नवत् होगी।

क0सं0	पद नाम	नियत मानदेय प्रतिमाह	नियुक्ति का प्रकार	संविदा अवधि
01	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	40,000.00	संविदा	31.03.2017

1– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी के पद पर यू0एन0डी0पी0 सहायतित आपदा जोखिम प्रबन्धन परियोजना के अन्तर्गत जिला परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके पूर्व परियोजना अधिकारी द्वारा यदि आवेदन किया जाता है तो उसके आन्तरिक समायोजन मानते हुए संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

2–आपदा प्रबन्धन अधिकारी पद पर संविदा पर लिए जाने वाले कार्मिकों को शासनादेश द्वारा इस पद हेतु निर्धारित वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा। आपदा प्रबन्धन अधिकारी को नियत मानदेय के रूप में अधिकतम रू0 40,000.00 (चालीस हजार रूपये) मात्र प्रति माह की धनराशि प्रदान की जावेगी। नियुक्त आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा नियत मानदेय से अधिक धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

3–संविदा हेतु प्रथमतः एक वर्ष का अनुभव किया जायेगा। संतोषजनक सेवा होने पर संविदा की अवधि आगे एक–एक वर्ष हेतु बढाई जा सकती है। संविदा किसी भी स्थिति में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। भविष्य में आवेदक द्वारा नियमितिकरण अथवा तीन वर्ष से अधिक सेवायोजन किये जाने हेतु न तो कोई मांग की जायेगी तथा न ही ऐसी कोई मांग स्वीकार्य होगी।

4–अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी 2016 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इससे कम अथवा अधिक आयु वाले आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।

5–यू0एन0डी0पी0 सहायतित आपदा जोखिम प्रबन्धन परियोजना के अन्तर्गत जिला परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करने सम्बन्धी सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

6–आवेदक को शपथ पत्र में यह लिखित देना होगा कि वह किसी आपराधिक करण/घोर अनुशासनहीनता/दुर्व्यवहार में लिप्त नहीं हैं। वांछनीय योग्यता :–

1. जिला आपदा प्रबन्धन, अधिकारी पर हेतु आवेदक को हिन्दी एवं अग्रेजी, दोनों भाषाओं में कम्पयूटर की जानकारी हो।
2. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी पद हेतु आवेदक को आपदा न्यूनीकरण में डिग्री/डिप्लोमाधारी होगा।
3. आवेदक को उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों के भौगोलिक क्षेत्र का अनुभव होने के साथ–साथ छोटे वाहन चलाने में सक्षम होना अनिवार्य है।
4. स्थानीय भाषा का ज्ञान,संस्कृति, प्रशासकीय संगठन आदि के सम्बन्ध में जानकारी हो।
5. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ (विकलांग न हो, दृष्टि दोष न हो) का प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
6. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र का कार्य एवं सात डेस्क सिस्टम के संचालन का समन्वयन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपदा कार्यो दलों, राज मिस्त्रीयों का प्रशिक्षण आपदा प्रबन्धन के अभिलेखों व दस्तावेजों का संकलन आपदा सम्बन्धी सूचनाओं का आदान प्रदान,आपदा उपरान्त राहत कार्यो इत्यादि में सहयोग व समय–समय पर जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी, दैवी आपदा एवं मुख्य राजस्व लेखाकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप आपदा सम्बन्धी कार्यो को सम्पादित किया जायेगा। भर्ती की प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदित अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय सत्यापन के लिए अपने साथ लाने आवश्यक होंगे।
7. संविदा अनुबन्ध के बाद बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुबन्ध खत्म करना ग्राह्य नहीं होगी।

(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी,
चमोली।

क्रमशः 2/–